

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 मई 2014—वैशाख 22, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2014

अधि. क्र. 08-एफ-1-21-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जिला बालाघाट में, मलाजखण्ड नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नीचे दी गई अनुसूचियों में यथा-विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

नगरपालिका मलाजखण्ड की नगरपालिक सीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

अनु- क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	पंचायत के नाम (4)	गांवों के नाम (5)	हेक्टेयर में घोषित होने वाला क्षेत्र (6)	क्षेत्र की सीमाएं (7)
1	बालाघाट	बिरसा	बोरखेड़ा	1. बोरखेड़ा 2. छिन्दीटोला 3. सूजी	522.734 611.284 316.241 <hr/> 1450.259	सम्पूर्ण गांव सम्पूर्ण गांव सम्पूर्ण गांव

अनुसूची-दो

नगरपालिक क्षेत्र की सीमाएं

अनुसूची-एक में दर्शाए गए क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका मलाजखण्ड की पुनरीक्षित सीमा:—

पूर्व—ग्राम जानपुर, भण्डारपुर, टिंगीपुर, चकरवाही, सायल, शाखा की पश्चिमी सीमा एवं ग्राम करहू, नेवरगांव, पिण्डकापार, भिमजोरी, भटलई, दूधी की अंतिम पूर्वी सीमा.

पश्चिम—आरक्षित वन की पूर्वी सीमा एवं ग्राम करहू, रेहंगी, लोरा की अंतिम पश्चिमी सीमा.

उत्तर—ग्राम संतापुर, सहेगांव की दक्षिणी सीमा तथा ग्राम करहू की उत्तरी सीमा का वन.

दक्षिण—ग्राम कासाटोला की पूर्वी सीमा (खसरा नं. 46, 47, 48) ग्राम कोसाटोला की पश्चिमी सीमा (खसरा नं. 16,11/5,11/12, 11/7, 11/10, 2, 28, 32 तथा 31) ग्राम कोसाटोला की उत्तरी सीमा (खसरा नं. 01, 08, 09, 10) ग्राम भुरूक, गोरखपुर की उत्तरी सीमा, ग्राम कैँडाटोला की पश्चिमी या उत्तरी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2014

क्र. 08-एफ-1-21-2013-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 08-एफ-1-21-2013-अठारह-3, दिनांक 12 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal the 12th May 2014

Not. No. 08-F-1-21-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to include the reas as mentioned in Schedules below within the limits of Malajkhand Municipal in the district of Balaghat :—

SCHEDULE-I

Area included in the Municipal limits of Malajkhand Municipal

S.No.	District	Tehsil	Name of the Panchayat	Names of Villages	Area to be declared in Hectare	Limits of the area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Balaghat	Birsa	Borkheda	(1) Borkheda (2) Shinditola (3) Sooji	522.734 611.284 316.241	Whole of the Village Whole of the Village Whole of the Village
					1450.259	

SCHEDULE-II
Boarders of Municipal Area

Revised boundary of Nagar Palika Malajkhand including the area shown in Schedule-I.

East—West boundary of Gram Janpur, Bhandarpur, Tingipur, Chakarwahi, Sayal, Shakha, Last East Boundary of Gram Karhu, Newargoan, Pindkapar, Bhimjory, Bhatlai, Doodhi.

West—East boundary of Reserve Forest and last West Boundary of Gram Karhu, Rehangi, Lora.

North—South boundary of Gram Santapur, Sahegaon and Forest of North Boundary of Gram Karhu.

South—East boundary of Gram Kosatola (Khasra No. 46, 47, 48) West boundary of Gram Kosatola (Khasra No. 16, 11/5, 11/12, 11/ 7, 11/10, 2, 28, 32 and 31) North boundary of Gram Kosatola (Khasra No. 01, 08, 09, 10) North boundary of Gram Bhurruk, Gorakhpur, West or North boundary of Gram Kaindatola.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.